उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

संख्या- 22/2015/912/62-1-2015-16जीडब्लू/2015

लखनऊ / दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भूगर्भ जल विभाग, के सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के पद के समस्त कार्यों के साथ-साथ मा0 मुख्य मंत्री जी की महत्वाकांक्षी ''मुख्य मंत्री जल बचाओ अभियान योजना'' का क्रियान्वयन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के 02 नि;संवर्गीय अस्थाई पद पे बैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में सृजित करने एवं उक्त पद पर श्री एच0आर0आजमी, सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट एवं श्री एन0सी0 सक्सेना, सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के सेवानिवृत होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की अवधि हेतु सृजित करते हुए निम्नलिखित सेवा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्योजित किये जाने की सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते हैं;-

(1) पुनर्योजन की अवधि में श्री एच0आर0 आजमी एवं श्री एन0सी0 सक्सेना को अस्थाई सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) श्री एच0आर0 आजमी एवं श्री एन0सी0 सक्सेना पुनर्योजन की अवधि में प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन मे से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में उन्हें शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(3) श्री आजमी एवं श्री सक्सेना को उक्त अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थाई अधिकारियों की भॉति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) पुनर्योजन की अवधि में श्री एच0आर0 आजमी एवं श्री एन0सी0 सक्सेना को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

(6) श्री एच0आर0 आजमी एवं श्री एन0सी0 सक्सेना को उक्त अवधि में अस्थाई तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।

(7) उक्त नि- संवर्गीय पद की प्रास्थिति सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट पद के समकक्ष होगी और श्री आजमी एवं श्री सक्सेना को वही सुविधायें अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी।

(8) उपर्युक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोनेत्तर-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भजल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण योजना'' के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-सा-3-1091/दस-15, दिनांक 20-10-2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव।

संख्या- 22/2015/946(1)/62-1-2015,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ ।
6- अधीक्षण अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल-प्रथम, बरेली।
7- संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल- द्वितीय, इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
9- सम्बन्धित अधिकारी।
10- कोषाधिकारी, लखनऊ / देवीपाटन (गोण्डा)।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in